

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-700630/16

संस्थित दिनांक-17.10.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

छुन्ना उर्फ राजकुमार पुत्र हीरालाल जाटव

उम्र 25 साल, निवासी ग्राम डोडरी

थाना मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 03.08.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.07.16 को 12:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर वाहन क्र० एम०पी०-30 एम०डी०-3023 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.07.16 को फरियादी मोहनसिंह रानाजीत जाटव के साथ एक्टिवा क्र० एम०पी०-07 एस०जी०-0988 से मुरार से ग्राम दिलीपसिंह का पुरा जा रहे थे और दिलीपसिंह के पुरा के सामने पहुंचे तभी अचानक से एक मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-30 एम०डी०3023 के चालक ने तेजी व लापरवाही से आकर उसकी एक्टिवा में टक्कर मार दी जिससे उसे एवं रानाजीत को चोटें आई। आहत/फरियादी मोहनसिंह द्वारा देहाती नालिसी सीएचसी गोहद में लेख कराई थी। आहतगण के मेडीकल परीक्षण उपरांत अप०क्र० 168/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.07.16 को 12:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर वाहन क्र० एम०पी०-30 एम.डी.3023 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मोहनसिंह अ०सा० 1, किशनलाल अ०सा० 2, हंसराज अ०सा० 3 रानाजीत अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष //**

7. फरियादी मोहनसिंह अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 21.02.17 से 6-7 महीने पहले दिन के एक डेढ बजे की है। वे राणाजीत के साथ एक्टवा एमपी०-07 एसजी०-0988 से दिलीपसिंह का पुरा जा रहे थे। जैसे ही दिलीपसिंह के पुरा के पास पहुंचे वैसे ही पीछे से एक मोटरसाईकिल ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे स्वयं एवं राणाजीत को चोटें पहुंचने का कथन करते हैं। साक्षी घटना की रिपोर्ट दिलीपसिंह के पुरा के पास लिखाया जाना बताते हैं। देहाती नालिसी प्र०पी० 1 में ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में न तो यह कथन करते हैं कि किस मोटरसाईकिल से और किस रीति से उनकी एक्टवा में टक्कर मारी गयी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षी द्वारा इस सुझाव से इंकार किया कि कथित मोटरसाईकिल एम०पी० 30 एम०डी० 3023 के चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाकर उनकी एक्टवा में टक्कर मारी थी। साक्षी द्वारा देहाती नालिसी प्र०पी० 1 में बी से बी भाग पर कथित मोटरसाईकिल के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। साथ ही साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के संबंध में इस तथ्य से इंकार किया कि घटना दिनांक को अभियुक्त उक्त मोटरसाईकिल को चला रहा था।

8. प्रकरण में अन्य आहत रानाजीत अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि 8-10 महीने पहले एक डेढ बजे अपनी एक्टवा से दिलीपसिंह का पुरा आ रहे थे इतने में पीछे से कोई मोटरसाईकिल आई जिसने एक्टवा में टक्कर मार दी। साक्षी अभिकथित मोटरसाईकिल से टक्कर

लगने पर स्वयं एवं आहत मोहनसिंह के एक्टवा से गिर जाने का कथन करते हुए यह बताते हैं कि वे टक्कर लगने के कारण बेहोश हो गए थे उन्होंने नहीं देखा कि कौनसे नंबर की मोटरसाईकिल कौन चला रहा था। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए तो साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त मोटरसाईकिल एम0पी0-30 एम0डी0 3023 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर एक्टवा में टक्कर मारी। साक्षी प्र0पी0 6 के पुलिस कथन में अभिकथित मोटरसाईकिल के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से टक्कर मार देने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार करते हैं।

9. प्रकरण में उक्त दोनों आहतगण के द्वारा मोटरसाईकिल, उसके चालक के रूप में अभियुक्त तथा अभिकथित मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। आहतगण के अतिरिक्त अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी दशा में कथित दुर्घटना में कौनसी मोटरसाईकिल सम्मिलित थी और उसे कौन व कैसे चला रहा था, इसके संबंध में तथ्य संदिग्ध हो जाते हैं। अनुसंधानकर्ता किशनलाल अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 30.07.16 को अभियुक्त से मोटरसाईकिल जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 बनाया था उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभिकथित जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 घटना दिनांक से 10 दिवस पश्चात् बनाया गया है। अभिकथित वाहन मोटरसाईकिल को अभियुक्त घटना के समय उपेक्षा व उतावलेपन से चला रहा था, इस संबंध में अनुसंधानकर्ता की साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष दिया जाना सुरक्षित नहीं है।

10. हंसराज अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में जब्तशुदा मोटरसाईकिल एम0पी0-30 एम0डी0 3023 का पंजीकृत स्वामी होने का कथन करता है किन्तु यह साक्षी दिनांक 20.07.16 को कौन मोटरसाईकिल चला रहा था इसके संबंध में कथन करने में अस्मर्थ है। साक्षी द्वारा स्वतः कथन किया है कि दिनांक 01.09.15 को उसने उक्त मोटरसाईकिल को अभियुक्त को बेच दिया था। यद्यपि उक्त मोटरसाईकिल के विक्रय के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है किन्तु इस तथ्य के संबंध में संदेहपूर्ण स्थिति अवश्य उत्पन्न हो जाती है कि क्या साक्षी हंसराज अ0सा0 3 के द्वारा अभिकथित वाहन घटना दिनांक 20.07.16 को अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में अपुष्ट प्रमाणीकरण प्र0पी0 6 के आधार पर निष्कर्ष दिया जाना चाहिए। ऐसी दशा में जहां स्वयं आहतगण द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को सुसंगत समय पर वाहन को चला रहा था। ऐसे में ऐसा साक्षी जो घटनास्थल का साक्षी नहीं है उसकी साक्ष्य पर विश्वास कर निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं है।

11. संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए वाहन के अभियुक्त द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के संबंध में तर्क पूर्ण साक्ष्य होना

आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन का तर्क है कि प्रकरण में फरियादी व आहत द्वारा राजीनामा कर लिया गया है किन्तु आहतगण द्वारा राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। जहां तक प्र०पी० 1 की देहाती नालिसी, प्र०पी० 3 व 8 के पुलिस कथन एवं प्र०पी० 7 के प्रमाणीकरण का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के संबंध में विरोधाभास और लोप को दर्शाने हेतु किया जा सकता है। स्वयं दस्तावेज सारवान साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं।

12. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.07.16 को 12:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत दिलीपसिंह के पुरा के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड पर वाहन नं० एम०पी०-30 एम०डी०-3023 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन मोटरसाईकिल एम०पी०-30 एम०डी०-3023 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जावे। अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश